



‘प्रस्तुप 26’
(नियम 4क देखिए)

9802/19-4-77
१८.४.७७



उत्तिष्ठाप्त (22)

निर्वाचन क्षेत्र से लोकवाला

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं अर्जुन कुमार साह **पुत्र/पुत्री/पत्नी राम अश्रीष साह आयु 29 वर्ष,
जो भारत-दलितपुर पौर-परोहिता, जाति-उत्तिष्ठाप्त, लिंग-समलैखीपुर (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी
हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं स्वतन्त्र (**राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/
**एक स्वतन्त्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम उत्तिष्ठाप्त विवाह (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम)
में भाग सं. 146 के क्रम सं. 190 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 77 810 92 52 8 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो
..... है।

(4) स्थाई लेख संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1.	स्वयं अर्जुन कुमार साह	5001PS 5186 D	₹100/-	₹100/-
2.	प्रतिष्ठा पत्नी सीमा कैरी	₹100/-	₹100/-	₹100/-
3.	आश्रित-1	₹100/-	₹100/-	₹100/-
4.	आश्रित-2	₹100/-	₹100/-	₹100/-
5.	आश्रित-3	₹100/-	₹100/-	₹100/-

(2)

- (5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये हैं।
यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-
- (i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	21.00/-
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	21.00/-
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	21.00/-
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	21.00/-
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	21.00/-
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	21.00/-

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिसमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिखा गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	21.00/-
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिखा गया है	21.00/-
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	21.00/-

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लाक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951) 1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :-
..... यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहरायया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	21.00/-
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	21.00/-
(ग)	अधिरोपित दंड	21.00/-
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्तिति	21.00/-

(7) मैं मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम (Movable) और स्थावर (Immovable) आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. जंगम (Movable) आस्तियों के ब्यौरे :


टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं. रकम जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और खाता सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक पतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहीत ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति/या पत्नी <u>रीमा देवी</u>	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	100000 = ००/-	10,000 = ००/-			
(ii)	बैंक खाता में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	भारतीय बैंक २०३२ अग्र. २०१५-१६२०१- <१८८१- ३२९५६२९३६७२ प्रा- ४००५०	१२००-	१२००	१२००-	१२००-
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम			१२००-	१२००-	१२००-
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	१२००-	१२००	१२००	१२००	१२००-
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/ अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम		१२००	१२००-	१२००	१२००-

(vi)	मोटरवान/ वायुयान/ वाट/ पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम	2100-	2100-	2100-	2100-	2100-
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	2100-	50 माल- 500/- 45 मेरा 100/- 304 - 1,50,000/-	2100-	2100-	2100-
(viii)	कोई अन्य आस्तियाँ जैसे कि दावों/हित का मूल्य	2100-	2100-	2100-	2100-	2100-
(ix)	समग्र कुल मूल्य	100,800/-	1,66,580/-	2100-	2100	2100-

छ. स्थावर (Immovable) अस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ))	8,000/- 741, 743, 744, 745, 746 1,495 - 30 कड़ा 1- प्र० 15 कड़ा 1-	2100-	2100-	2100-	2100-
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	15 कड़ा 1-	2100-	2100-	2100-	2100-
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	2100-	2100-	2100-	2100-
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	2100-	2100-	2100-	2100-	2100-
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	2100-	2100-	2100-	2100-	2100-
(ii)	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	2100-	2100-	2100-	2100-	2100-
	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	2100-	2100-	2100-	2100-	2100-
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2100-	2100-	2100-	2100-	2100-
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	2100-	2100-	2100-	2100-	2100-

	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	21मे-	22मे-	23मे-	24मे-	25मे-
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	21मे-	22मे-	23मे-	24मे-	25मे-
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	21मे-	22मे-	23मे-	24मे-	25मे-
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	21मे-	22मे-	23मे-	24मे-	25मे-
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	21मे-	22मे-	23मे-	24मे-	25मे-
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	21मे-	22मे-	23मे-	24मे-	25मे-
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	21मे-	22मे-	23मे-	24मे-	25मे-
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	21मे-	22मे-	23मे-	24मे-	25मे-
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	21मे-	22मे-	23मे-	24मे-	25मे-
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	21मे-	22मे-	23मे-	24मे-	25मे-
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	21मे-	22मे-	23मे-	24मे-	25मे-
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	केसरानी 780	21मे-	22मे-	23मे-	24मे-
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1300 वर्गफीट-	21मे-	22मे-	23मे-	24मे-
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1300 वर्गफीट-	21मे-	22मे-	23मे-	24मे-
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	21मे-	22मे-	23मे-	24मे-
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	21मे-	22मे-	23मे-	24मे-	25मे-
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	21मे-	21मे-	21मे-	21मे-	21मे-

	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	₹१००-	₹१००-	₹१००-	₹१००-	₹१००-
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹५०००००/-	₹१००-	₹१००-	₹१००-	₹१००-
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	₹१००-	₹१००-	₹१००-	₹१००-	₹१००-
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	₹१५०००००/-	₹१००-	₹१००-	₹१००-	₹१००-


8. मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों (dues) के ब्वौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्वौरों का पृथक विवरण दें)


क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पत्रि या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य (lone or dues) बैंक या वित्तीय संस्था का नाम बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	₹१००-	₹१००	₹१००	₹१००	₹१००
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किहीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	₹१००/- 	₹१००	₹१००	₹१००	₹१००
	कोई अन्य दायित्व	₹१००-	₹१००-	₹१००-	₹१००-	₹१००-
	दायित्वों का कुल योग	₹१००-	₹१००-	₹१००-	₹१००-	₹१००-
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	₹१००-	₹१००-	₹१००-	₹१००-	₹१००-
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹१००-	₹१००-	₹१००-	₹१००-	₹१००
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹१००-	₹१००-	₹१००-	₹१००-	₹१००-
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	₹१००-	₹१००-	₹१००-	₹१००-	₹१००-

सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	२६०८	१२०८	१२०८	१२०८	१२०८
आय-कर शोध्य	१२०८	१२०८	१२०८	१२०८	१२०८
धनकर शोध्य	१२०८	१२०८	१२०८	१२०८	१२०८
सेवाकर शोध्य	१२०८	१२०८	१२०८	१२०८	१२०८
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	१२०८	१२०८	१२०८	१२०८	१२०८
विक्रयकर शोध्य	१२०८	१२०८	१२०८	१२०८	१२०८
कोई अन्य शोध्य	१२०८	१२०८	१२०८	१२०८	१२०८
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	१२०८	१२०८	१२०८	१२०८	१२०८
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतवलित (In- volved) रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	१२०८	१२०८	१२०८	१२०८	१२०८

9. वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं (ख) पति या पत्नी 

10. मेरी शैक्षिक अहंता नीचे दिए अनुसार है :

.....(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे
देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

11. भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1. अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमा अर्जुन कुमार साह
2. डाक का पूरा पता	भास- सलेमपुर पोस्ट - परोटिया भास- उनिपासपुर निला- समलीपुर
3. निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	22, उनिपासपुर, किटार
4. उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र

5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।			₹ २०५ -		
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)			₹ १०८ -		
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)			₹ २०५ -		
7. का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय कर विवरणी फाइल की गई है		कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	₹ २०८ -	₹ १०८ -	₹ १०८ -		
	(ख) पति या पत्नी	₹ १०८ -	₹ १०८ -	₹ १०८ -		
	(ग) आश्रित	₹ १०८ -	₹ १०८ -	₹ १०८ -		
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपए में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3

क.	जंगम (Movable) आस्तियां (कुल मूल्य)	₹ १०८ -	₹ १०८ -	₹ १०८ -	₹ १०८ -	₹ १०८ -
ख.	स्थावर (Immovable) आस्तियां					
(I)	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	₹ १०८ -	₹ १०८ -	₹ १०८ -	₹ १०८ -	₹ १०८ -
(II)	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/ संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	₹ १०८ -	₹ १०८ -	₹ १०८ -	₹ १०८ -	₹ १०८ -
(III)	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	₹ १००००००० -	₹ १०८ -	₹ १०८ -	₹ १०८ -	₹ १०८ -

	(क) स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	₹10/-	₹2/-	₹2/-	₹2/-	₹2/-
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)					
9.	दायित्व					
	(i) सरकारी शोध्य (dues) कुल	₹10/-	₹2/-	₹2/-	₹2/-	₹2/-
	(ii) बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	₹10/-	₹2/-	₹2/-	₹2/-	₹2/-
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i) सरकारी शोध्य (dues) कुल	₹2/-	₹2/-	₹2/-	₹2/-	₹2/-
	(ii) बैंक वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	₹10/-	₹2/-	₹2/-	₹2/-	₹2/-
11.	उच्चतम शैक्षिक अहंता (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें)					
	आठवाँ पाल, 1997, ११५३८-३२५-विधालय, नांगनांग, मधुरापुर- लिला-४८८४५२					

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 19.04.2014 को सत्यापित किया गया।

Sowrn be fore me to
Day by sh... *Adv. sh. K.*
who has b... *Adv. sh. K.*
Adv. sh. K.

अंजुन कुमार सिंह

अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3 सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति “शून्य” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो “शून्य” या “लागू नहीं” या “ज्ञात नहीं” जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण 6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी ।

मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है

एवं मेरा सोशल एकाउटस (अगर कोई हो) है